चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवमोहन पुत्र कल्लू निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. पिन्टू उर्फ लवलेश पुत्र शारदा प्रसाद निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर को 05-05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(2). उ0नि0 श्री इमरान खाँ व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र बिहारीलाल निवासी कन्धवनिया थाना राजापुर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 16.11.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार राजापुर में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सम्पूर्ण समाधान दिवस राजापुर में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह,प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार,प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे ।

(5). आज दिनाँक 16.11.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर पुलिस के साथ कस्बा राजापुर अन्तर्गत हनुमान मंदिर में लगने वाले मेला का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया । महोदय द्वारा निर्धारित स्थानों पर वाहन पार्किंग हो, रोड पर अतिक्रमण न हो,सीसीटीवी लगे हो,मंदिर परिसर में इलेक्ट्रानिक चीजों में खुला तार न लगा हो तथा फायर ब्रिगेड का भी उचित व्यवस्थापन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार,प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्दर्शन में उ0नि श्री सिद्धनाथ राय,उ0नि0 श्री इमरान खाँ व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवगोविन्द्र सिंह पुत्र छेदीलाल सिंह निवासी कन्धवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 500 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री इमरान खाँ थाना राजापुर
3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
4. आरक्षी अजय मिश्रा
5. आरक्षी उज्जवल पाण्डेय
6. आरक्षी विमलेश

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा नोडल अधिकारी मिशन शक्ति/क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह की उपस्थिति में यातायात माह नवम्बर-2024 जागरूकता अभियान के अन्तर्गत थाना पहाड़ी के हरिमोहन सिंह इण्टर कॉलेज बछरन में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों,मिशन शक्ति अभियान व साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्र/छात्राओं को बताया गया कि शारदीय नवरात्रि से प्रारम्भ होकर उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति अभियान-5 महत्वाकांक्षी योजना है। इस अभियान के तहत बेटियों और बेटे दोनो को जागरूक करते है । सरकारी की एक नारा है बेटी बचाओं इस समय में कहना है कि बेटे और बेटी दोनों बचाओं बेटे यदि बेटे की भूमिका में रहेगें तो हमारे समाज की बेटिया सुरक्षित व पूज्यनीय रहेगी। इस समाज में यदि कोई देवी देवता जिन्दा है तो मेरे माता –पिता तथा हमारे गुरुजन जो हमें सही दिशा में ले जाने का कार्य करते रहते है। छात्र/छात्रओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/बूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित छात्र/छात्रओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ/छात्र/छात्राओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात नियमों संकेत सिग्नल, ओवर स्पीडिंग न करें, दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग व तीन सवारी को न बैठाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट/खतरनाक ड्राइविंग न करने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने,लेन ड्राइविंग व अत्यधिक तेज हार्न का प्रयोग न करने, वाहन चलाते मोबाइल फोन का प्रयोग न करने,

कोहरा के समय फोग लाइट का प्रयोग करने, गलत तरीके से ओवर टेकिंग न करने, दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु बताया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह,अपराध निरीक्षक पहाड़ी श्री प्रभुनाथ सिंह,प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह,पीआरओ श्री प्रदीप पाल ,स्कूल गुरुजन एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(8). आज दिनाँक-16.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव, अद्यवधिक,बंदीगृह,सीसीटीएनएस कार्यालय,प्रभारी निरीक्षक कार्यालय,महिला हेल्प डेस्क एवं नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को थाना परिसर की साफ सफाई कराने हेतु बताया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जगदीश रैदास पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।